भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2695

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः खाद्यानों के लिए विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता

2695. श्री नारायण तातू राणेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शीतगृहों की संख्या का राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र में, ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में खाद्यान भंडारण क्षमता बढ़ाने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समय-सीमा तय की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार किसानों के लिए विकेन्द्रीकृत भडारण क्षमता स्थापित करने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो महाराष्ट्र सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित योजना के लिए अनुमानित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आज की स्थिति के अनुसार देश में 8815 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनकी क्षमता 402.18 लाख मीट्रिक टन है। कोल्ड स्टोरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संचालन और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद के बाद मुख्यतः गेहूँ और चावल का भंडारण करता है। दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए एफसीआई (स्वामित्वाधीन -147.19 लाख मीट्रिक टन + किराए पर ली गई-323.38 लाख मीट्रिक टन) और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल सम्मिलित स्टोरेज क्षमता 821.36 लाख मीट्रिक टन है।

इसके अतिरिक्त, एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्यत: चावल और गेहूँ के खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और पीडीएस संचालन पर निर्भर करती है। एफसीआई निरंतर भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और स्टॉरेज गैप के आकलन के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएँ सृजित/किराए पर ली जाती हैं: -

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएसएस) 2017-25
3. पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण
4. सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण
7. सीएपी हायरिंग योजना -2025
8. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 15 वर्षों की लंबी गारंटी अवधि के साथ संशोधित पीईजी योजना

(घ) और (ङ): सहकारिता मंत्रालय,भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका शुभारंभ महाराष्ट्र सहित देश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। ताकि 'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण का लाभ उठाकर प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) स्तर पर विभिन्न कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न भंडारण क्षमता सृजित की जा सके, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं। पीएसीएस स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए इस योजना का कार्यान्वयन,भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे एग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड(एआईएफ), एग्रिकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एएमआई), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई) और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के स्वीकृत परिव्यय लागत का उपयोग करके किया जा रहा है।

प्रत्येक पीएसीएस के लिए परियोजना की अनुमानित लागत विभिन्न मापदंडों जैसे भंडारण क्षमता, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों की आवश्यकता आदि के आधार पर अलग-अलग होगी। एग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ब्याज अनुदान को पीएसीएस के स्तर पर गोदामों और अन्य कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए चिन्हित योजनाओं के तहत उपलब्ध सब्सिडी के साथ जोड़ा जा रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत नेरिपंगलई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था द्वारा अमरावती, महाराष्ट्र में एक पीएसीएस गोदाम का निर्माण किया गया।

अनुबंध - I

दिनांक 30.06.2025 तक देश में शीतगृहों का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या	क्षमता (एमटी)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	45	212662
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
7	छत्तीसगढ़	132	586863
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	387	886656
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू एवं कश्मीर	96	382564
14	झारखंड	60	250077
15	कर्नाटक	271	930379
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	341	1498651
19	महाराष्ट्र	672	1259932
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	उड़ीसा	182	579321
25	पुदुचेरी (यूटी)	4	185
26	पंजाब	780	2642715
27	राजस्थान	192	661876
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	117	627131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2489	15101408
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
		8815	**40218862**

(स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

*****